

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा

राजस्व वाद संख्या :- 186/2021

अर्पण पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति जाट साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम



1. श्योलाल पुत्र मैयराम जाति जाट
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्योलाल साकिन भागसर
3. बालचन्द्र पुत्र श्योलाल तहसील पीलीबंगा
4. प्रभूराम पुत्र श्योलाल जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. सुमन पुत्री श्योलाल पत्नी देशराज जाति जाट साकिन पंचायत समिति के नजदीक सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. प्रियंका पुत्री चन्द्रप्रकाश जाति जाट साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा जरिये मैनेजर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
9. सौरभ पुत्र प्रभूराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्री मती रेवन्ती देवी पत्नी श्री प्रभूराम जाति जाट निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरू मेरे बहाजरी श्री चैन सिंह शैखावत अधिवक्ता वादी श्री जसपाल सिंह दहिया प्रतिवादी संख्या 1,4, राजपैरोकार आज दिनांक उपस्थित होने पर बाद बहस उभय पक्ष विचार कर प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का यह वादपत्र खारिज किया जाता है।

लीज— मुबलिंग— बाबत— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह— से

तारीख वसूलयाबी तक—

बसिब मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 14/10/25 को जारी की गई



(सुमन मिश्रा)
उपखण्डाधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़
राजस्थान